प्रेस नोट
थाना नवाबाद, झांसी

दिनांक- 13.05.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **थाना नवाबाद पुलिस द्वारा फर्म बनाकर 2,74,27,066 रू0 का गबन करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 13.05.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 187/26 धारा 316(5)/338/336(3)/340(2)/351(3) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र लखेरा पुत्र रमेश चन्द्र लखेरा निवासी म0नं0 555 नानाभाऊ का बगीचा बडागांव गेट बाहर थाना कोतवाली झांसी उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनाँक 13.04.2026 को आवेदक श्री विजय कान्त पटैरिया (बिजनेस हेड) दैनिक जागरण , झाँसी मो0 7617003272 द्वारा दाखिल किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर बावत संस्था दैनिक जागरण झांसी में सेवारत अभि0 द्वारा फर्जी मोहर व हस्ताक्षर बनाकर फर्जी व कूटरचित बिल तैयार कर स्वंय के द्वारा बनाई गई Daily Advertising Company के एकाउण्ट में संस्था से प्राप्त चेकों को जमा कराकर 2,74,27,066.00/-(दो करोड़ चौहत्तर लाख सत्ताईस हजार छियासठ रूपये) का गबन कर रूपये हड़प लेना व संस्था के कर्मियों को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे अभि0 धर्मेन्द्र लखेरा पुत्र रमेश लखेरा नि0 555/डी, नाना भाउ का बगीचा, द्वारिका कॉलौनी के सामने, बडागांव गेट बाहर, थाना कोतवाली जिला झांसी के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अ0सं0 187/26 धारा 316(5)/338/336(3)/340(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया गया कि वह वर्ष 2009 से दैनिक जागरण में एडवर्टाइजिंग एक्सीक्यूटिव के पद पर कार्यरत था, दैनिक जागरण को सरकारी विभागो व अन्य प्राइवेट विभागो से विज्ञापन

लाता था जिसका भुगतान लाने की जिम्मेदारी उसकी थी व कीमते दैनिक जागरण द्वारा की जाती थी मेरे घर में समस्या होने के कारण मैने वर्ष 2020 में अपनी एक निजी फर्म डेली एडवर्टाइजिंग कम्पनी बनवाई जिसके बैंक खाता में दैनिक जागरण का भुगतान मै लालचवश लेने लगा।

नाम पता अभियुक्त – धर्मेन्द्र लखेरा पुत्र रमेश चन्द्र लखेरा निवासी म0नं0 555 नानाभाऊ का बगीचा बडागांव गेट बाहर थाना कोतवाली झांसी उम्र करीब 40 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्र0नि0 श्री रवि श्रीवास्तव थाना नवाबाद जिला झाँसी
2. उ0नि0 श्री मोहित यादव थाना नवाबाद जिला झांसी
3. हे0का0 371 नीतू कुमार थाना नवाबाद जिला झाँसी
4. रि0म0का0 430 पूजा थाना नवाबाद जिला झाँसी